

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 232]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 19 मार्च 2025 — फाल्गुन 28, शक 1946

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 मार्च 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12-17/2018/20-दो. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2019 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 37 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्र. और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाए, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38.	स्पेशल एजुकेटर (माध्यमिक)	232	द्वितीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल - 9	संचालक
39.	स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक)	140	तृतीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल - 8	संयुक्त संचालक
40.	स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक)	476	तृतीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल - 6	जिला शिक्षा अधिकारी

2. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 37 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्र. और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाए, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38.	स्पेशल एजुकेटर (माध्यमिक)	232		100%	-	-	-

39.	स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक)	140	100%	-	-	-
40.	स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक)	476	100%	-	-	-”

3. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 13 के पश्चात निम्नलिखित सरल क्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाए, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	स्पेशल एजुकेटर (माध्यमिक)	21 वर्ष	35 वर्ष	परिशिष्ट – एक (छः) के अनुसार	संचालक, लोक शिक्षण द्वारा विहित समिति	-
15.	स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक)	21 वर्ष	35 वर्ष	परिशिष्ट – एक (पाँच) के अनुसार	(1) संयुक्त संचालक (संभागीय कार्यालय) – अध्यक्ष (2) जिला शिक्षा अधिकारी – सदस्य. (3) उप संचालक (संभागीय कार्यालय) –सदस्य सचिव. (4) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी – सदस्य”	-
16.	स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक)	21 वर्ष	35 वर्ष	परिशिष्ट – एक (चार) के अनुसार	(1) जिला शिक्षा अधिकारी – अध्यक्ष (2) प्राचार्य, डाईट – सदस्य. (3) सहायक संचालक/समकक्ष –सदस्य सचिव. (4) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी – सदस्य (5) प्राचार्य, शास.उच्च. माध्य.विद्यालय – सदस्य	-”

4. परिशिष्ट – एक के “मद (तीन) व्याख्याता” के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ा जाये :-

(चार) स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक)

भारतीय पुनर्वास परिषद् नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डी.एड. स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीकृत।

(पाँच) स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक)

भारतीय पुनर्वास परिषद् नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड. स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीकृत।

(छः) स्पेशल एजुकेटर (माध्यमिक)

- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ अंग्रेजी/हिन्दी/इतिहास/राजनीति विज्ञान/समाजशास्त्र/संगीत विषय में स्नाताकोत्तर उपाधि
- (2) भारतीय पुनर्वास परिषद् नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड. स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण अथवा समकक्ष एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीकृत।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 19th March 2025

NOTIFICATION

No. F 12-17/2018/20-2. - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh School Education Services (Educational and Administrative Cadre) Recruitment and Promotion Rules, 2019, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After serial number 37 of Schedule-I, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38.	Special Educator (Secondary)	232	Class-II	Pay Matrix Level - 09	Director
39.	Special Educator (Upper Primary)	140	Class-III	Pay Matrix Level - 08	Joint Director
40.	Special Educator (Primary)	476	Class-III	Pay Matrix Level - 06	District Education Officer”

2. After serial number 37 of Schedule-II, the following entries serial number and relating thereto shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
“38.	Special Educator (Secondary)	232		100%	-	-	-
39.	Special Educator (Upper Primary)	140		100%	-	-	-
40.	Special Educator (Primary)	476		100%	-	-	.”

3. After serial number 13 of Schedule-III, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“14.	Special Educator (Secondary)	21 Years	35 Years	As per Annexure-I (6)	Prescribed committee by Director, Public Education	-
15.	Special Educator (Upper Primary)	21 Years	35 Years	As per Annexure-I (5)	(1) Joint Director (Divisional Office) - Chairman (2) District Education Officer-Member (3) Deputy Director (Divisional Office) - Member Secretary (4) Block Education Officer - Member	-

16.	Special Educator (Primary)	21 Years	35 Years	As per Annexure-I (4)	(1) District Education Officer-Chairman (2) Principal DIET - Member (3) Assistant Director/Equivalent - Member Secretary (4) Block Education Officer - Member (5) Principal Govt. Higher Secondary School - Member	..”
-----	----------------------------	----------	----------	-----------------------	--	-----

4. After “Item (iii) Lecturer” of Annexure-I, the following items shall be added, namely:-

“(IV) Special Educator (Primary)

D.Ed.Spl.Ed. or its equivalent from a Rehabilitation Council of India, New Delhi recognized institute and must be registered with RCI.

(V) Special Educator (Upper Primary)

B.Ed.Spl.Ed. or its equivalent from a Rehabilitation Council of India, New Delhi recognized institute and must be registered with RCI.

(VI) Special Educator (Secondary)

- (1) Masters degree from a recognized University with at least 50% marks in aggregate in the English/ Hindi/ History/ Political Science/Sociology /Music subjects.
- (2) B.Ed.Spl.Ed. or its equivalent from a Rehabilitation Council of India, New Delhi recognized institute and must be registered with RCI.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SIDDHARTH KOMAL SINGH PARDESHI, Secretary.